

डालूराम बनाम जोगाराम वगैरा

पीठारिीन अधिकारी - रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

प्रार्थीनी वकील - श्री आईदानराम गोदारा

विप्रार्थीगण वकील - एकतरफा

निर्णय

दिनांक - 03.10.2025

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत सरहद मौजा मान जैसासर में खसरा सं. 1394/1229 रकबा 6.6045 हैक्टर, पटवार क्षेत्र तारातरा व मौजा भोमासर में खसरा सं. 1068 रकबा 1.9182 हैक्टर, पटवार क्षेत्र तारासरा तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त का त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी के वक्त काशत प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा मान जैसासर में खसरा सं. 1394/1229 रकबा 6.6045 हैक्टर, पटवार क्षेत्र तारातरा व मौजा भोमासर में खसरा सं. 1068 रकबा 1.9182 हैक्टर, पटवार क्षेत्र तारासरा तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमी नर को निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमी नर को कमी नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
उपखण्ड अधिकारी चौहटन